

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(2)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक १.12.16


::आज्ञा::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ विधि अधिकारियों की दो वर्ष की परिवीक्षाधीन आधार पर नियुक्ति इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.03.2016 को की गई थी, जिसमें उन्हें 21 दिवस के अन्दर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.22(2)न्याय/2013 दिनांक 05.05.2016 द्वारा नवनियुक्ति किए गए कनिष्ठ विधि अधिकारी जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया था उन्हें अविलम्ब कार्यग्रहण कर इस विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यग्रहण नहीं करने पर इसके पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.05.2016 द्वारा 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करने का अतिरिक्त समय दिया जाकर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के बावजूद निम्न अभ्यर्थी आदेशों की अनुपालना में नियत अवधि व दिनांक 30.11.2016 तक कार्यग्रहण करने में विफल रहे हैं।


अतः निर्देशानुसार निम्न अभ्यर्थीगण, जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर की गई थी, की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पता
1.	36	गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन राम	गाँव/पोस्ट-सोलांकिया तला, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर, राजस्थान-342025
2.	81	भंवरा राम पुत्र श्री मोटा राम	वी/पी वीरम नगर, जालिपा, तहसील-बाड़मेर, जिला-बाड़मेर, राजस्थान।
3.	82	जितेन्द्र कुमार लखेरा पुत्र श्री चम्पा लाल लखेरा	ए/38, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर-302016
4.	84	अनिता गर्ग पुत्री श्री कैलाश चन्द गुप्ता	116/03, शिप्रा पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
5.	105	रेखा खींची पुत्री श्री राम किशोर खींची	203, लक्ष्मी नारायणपुरी, मण्डी खटीकान, गलता गेट के पास, जयपुर, राजस्थान-302003
6.	124	राजकुमार मीणा पुत्र श्री मंगला राम मीणा	प्लॉट नं. ए-16, दीपक कॉलोनी, बरकत नगर, टोंक फाटक, गाँधी नगर, जयपुर, राजस्थान-302015

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित उपरोक्त अभ्यर्थी।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव